

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/माध्य/आदर्श-उत्कृष्ट विद्यालय/61066/2020-21/03

दिनांक 06/10/2020

1. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
2. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा, समस्त जिले।

अति-आवश्यक

विषय : राज्य सरकार की "उत्कृष्ट विद्यालय योजनान्तर्गत" नवीन विद्यालयों का चिहनीकरण कर परीक्षण एवं भौतिक सत्यापन उपरान्त प्रस्ताव भिजवाने के सम्बन्ध में।

प्रसंग : शासन उप सचिव प्रारंभिक शिक्षा (आयोजना) विभाग, जयपुर के पत्रांक : प.01 (01) प्राशि/आयो./2020 जयपुर,दिनांक : 23.09.2020।

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंगान्तर्गत लेख है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालय (सामान्यतः कक्षा 01 से 08 के विद्यालय) को "राज्य सरकार की उत्कृष्ट विद्यालय योजना के अन्तर्गत" चयनित कर इन्हें आदर्श विद्यालय के मार्गदर्शन (Mentorship) में उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है। उक्त योजनान्तर्गत चयनित विद्यालयों द्वारा चयन हेतु निर्धारित मानदण्ड/दिशा-निर्देश पूर्ण नहीं करने, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पंचायत पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन एवं संशोधन, विद्यालय क्रमोन्नति इत्यादि कारणों से उक्त योजनान्तर्गत विद्यालयों के चयन से संबंधित निम्नांकित विसंगतियां सामने आ रही हैं।

1. उच्च कक्षा स्तर के विद्यालय होते हुए भी निम्न कक्षा स्तर के (राउप्रावि के स्थान पर राप्रावि) विद्यालयों का उक्त योजनान्तर्गत चयन किया गया है।
2. कुछ ग्राम पंचायतों में एक ही विद्यालय को आदर्श एवं उत्कृष्ट दोनों ही योजनाओं के अन्तर्गत चयनित/चिन्हित किया गया है।
3. पूर्व में घोषित उत्कृष्ट विद्यालय बन्द अथवा अन्य विद्यालयों में समन्वित हो जाने से संबंधित ग्राम पंचायत/राजस्व ग्राम में उक्त योजनान्तर्गत कोई भी विद्यालय संचालित नहीं है।
4. कुछ ग्राम पंचायतों/राजस्व ग्राम में उक्त योजनान्तर्गत चयनित विद्यालयों के रामावि/राउमावि स्तर के विद्यालयों में क्रमोन्नत हो जाने के कारण वर्तमान में उस ग्राम पंचायत/राजस्व ग्राम में उत्कृष्ट विद्यालय योजनान्तर्गत कोई भी विद्यालय संचालित नहीं है।
5. पंचायत पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन एवं संशोधन उपरान्त कुछ ग्राम पंचायतों/राजस्व ग्राम में एक भी विद्यालय उत्कृष्ट विद्यालय योजनान्तर्गत चयनित नहीं है जबकि कुछ ग्राम पंचायतों/राजस्व ग्राम में एक से अधिक विद्यालय उक्त योजनान्तर्गत चयनित/संचालित है इत्यादि।

उक्त विसंगतियों/बिन्दुओं का उत्कृष्ट विद्यालय योजनान्तर्गत विद्यालयों का चयन किए जाने हेतु निर्धारित मानदण्डों/दिशा-निर्देशों (संलग्न) एवं समसामयिक/वास्तविक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में परीक्षणोंपरांत नवीन चयनित/चिन्हित विद्यालयों के प्रस्ताव (सुस्पष्ट एवं विस्तृत कारण सहित) भौतिक सत्यापन के उपरांत निर्धारित प्रारूप (संलग्न परिशिष्ट-1) में इस कार्यालय की ई-मेल आई.डी. -dserajadarsh.edu@rajasthan.gov.in पर हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी (पीडीएफ) एवं सॉफ्ट कॉपी (एक्सल) में दिनांक 15.10.2020 तक प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

नोट:- समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) मा.शि./प्रा.शि. से आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय योजनान्तर्गत नवीन चयनित/चिन्हित विद्यालयों के प्रस्ताव प्राप्त कर इस कार्यालय को प्रेषित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि प्रेषणीय प्रस्ताव निर्धारित मानदण्ड एवं दिशा-निर्देशानुसार ही तैयार किए गए हैं एवं किसी भी विद्यालय को आदर्श एवं उत्कृष्ट दोनों ही योजनाओं के अन्तर्गत चयनित/चिन्हित नहीं किया गया है।

इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।


www.rajteachers.com

संलग्न:-

1. शासन द्वारा उत्कृष्ट विद्यालय योजनान्तर्गत चयनित/चिन्हित विद्यालयों की सूची विभागीय वेबसाइट www.education.rajasthan.gov.in/elementary (लिंक:- <https://bit.ly/36yoSIY>) पर उपलब्ध है।

2. वर्तमान में उत्कृष्ट विद्यालय योजनान्तर्गत संचालित विद्यालयों की सूची (शाला दर्पण)।
3. सूचना प्रेषित करने हेतु निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट-1)।
4. निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट-1) की पूर्ति हेतु दिशा-निर्देश (परिशिष्ट-2)।
5. प्रमाण-पत्र (परिशिष्ट-3)।
6. उत्कृष्ट विद्यालय योजनान्तर्गत विद्यालयों का चयन किए जाने हेतु निर्धारित मानदण्ड/दिशा-निर्देश।

www.rajteachers.com


(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.

निदेशक

प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक 06/10/2020

क्रमांक-शिविरा/माध्य/आदर्श-उत्कृष्ट विद्यालय/61066/2020-21/03

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् सह विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान एवं अति.आयुक्त, रास्कूलशिप., जयपुर।
4. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारंभिक शिक्षा), राजस्थान, बीकानेर।
5. शासन उप सचिव, शिक्षा (गुप-1/2/5)/प्रारंभिक शिक्षा (संस्थापन)/प्रारंभिक शिक्षा (आयोजना), राजस्थान, जयपुर।
6. अति.राज्य परियोजना निदेशक-प्रथम/द्वितीय, रा.स्कूलशिप,जयपुर।
7. समस्त उपायुक्त, रा.स्कूलशिप,जयपुर।
8. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को प्रेषित कर लेख है कि अपने क्षेत्राधिकार के समस्त जिलों से उक्तानुरूप सूचना निर्धारित समयावधि में प्रेषित करवाना सुनिश्चित करें।
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)-माध्यमिक शिक्षा।
10. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
11. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बी.आर.सी.एफ., समग्र शिक्षा अभियान।
12. समस्त पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षाधिकारी (पीईईओ)/सीआरसीएफ एवं शहरी संकुल संदर्भ केन्द्र प्रभारी (सीआरसीएफ) तथा संस्था प्रधान।
13. उपनिदेशक, शाला दर्पण, रा.स्कूल शि.प.,जयपुर।
14. सहायक निदेशक, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, प्रा.शि/मा.शि.,राज.,बीकानेर।
15. प्रभारी अधिकारी, आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय प्रकोष्ठ, रास्कूलशिप., जयपुर।
16. स्टाफ ऑफिसर, माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा, राज0, बीकानेर।
17. रक्षित पत्रावली।



निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर